वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट–आफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.051 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.241 हे., नारंगी वन भूमि 3.485 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे. कुल 5.880 हे. वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 5.880 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 11/09/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

11/9/23

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–870/2155 रायपुर, दिनांक 12/09/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय :– **बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State हेतु क्षेत्रफल 5.88 हे. का व्यपवर्तन बाबत।**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/45471/2020

संदर्भ:– मु.व.सं. (वन्य जीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर का पत्र क्रमांक/व.प्रा./तक. अधि/1739 दिनांक 23.08.2023

--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट–आफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.051 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.241 हे., नारंगी वन भूमि 3.485 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे. कुल 5.880 हे. क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट–आफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.051 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.241 हे., नारंगी वन भूमि 3.485 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे. कुल 5.880 हे. वन भूमि की मांग की गई है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:–** प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/45471/2020 आबंटित किया गया है।	2
3.	**वन क्षेत्र का विवरण:–** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट–आफ–वे के	3–6

	अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 5.880 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु आवश्यक है।	
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः**— आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में 0.765 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रहा है।	7
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः**— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	8—18
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः**— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	19—20
7.	**प्रपत्र—4 में प्रस्तावः**— प्रपत्र — 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 12 करोड़ 32 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतो को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से संपादित होंगे।	21—27
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः**— बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट—आफ—वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 5.880 हे. वन भूमि प्रस्तावित किया गया है जिसमें आवेदक संस्थान ने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ. ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	28—30
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः**— बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट—आफ—वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 5.880 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है।	31
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः**— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	32
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः**— बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने हेतु रकबा 5.880 हे. वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रपत्र—3 पर उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 30.05.2022 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर ने वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है जो परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	33—55
12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्रः**— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	56

13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र**— संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।	57 — 60
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:**— बीजापुर जिले की कुल वन भूमि रकबा 6410.791 वर्ग कि.मी है।	61
15.	**व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:**— बीजापुर जिले के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत कुल 03 प्रकरणों में 312. 806 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।	62
16.	**व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:**— व.स.अ.—1980 तहत बीजापुर जिले के इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा निरंक है।	63
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ—5—20/2007/10—2 दिनांक 12/01/2010):**— प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	64
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11—9/1998 दिनांक 03/08/2009):**— आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर जिला बिजापुर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 23.06. 2020 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	65—66
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू—प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):**— प्रस्ताव में 0.103 हे. राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। यद्यपि राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बीजापुर के पत्र क्रमांक 1185 दिनांक 23.06.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	67—69
20.	**पंजीयन क्रमांक—पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ—7—22/2009/10—2 दिनांक 31/07/2009):**— आवदेक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6000/— रूपये एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 18000/— रूपये इस प्रकार कुल राशि 24000/— रूपये वन मंडलाधिकारी, बीजापुर वन मंडल के पी.डी खाते में जमा किया गया है।	70
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:**— ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर की सीमा के अंदर गुजर रहा है। इस हेतु परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ व.प्रा./ प्रबंध—509/2665 दिनांक 08.07.2022 से अनुशंसा की गई है।	71—78
22.	**1. प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की जानकारी:**— प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 5.88 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा महासमुंद वन मंडल के महासमुंद परिक्षेत्र के ग्राम बरौण्डाबाजार में समतुल्य राजस्व भूमि रकबा 5.88 हे. का	

	डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव के साथ 02 प्रतियों में संलग्न है। **2. शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की जानकारी**:— व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 5.88 हे. वन भूमि में केबल बिछाने के कार्य हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि जमा करने हेतु जो भी दिशा निर्देश जारी किया जावेगा उसे आवेदक संस्थान द्वारा मान्य होगा जिसका वचन पत्र संलग्न किया गया है।	

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग—4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 01 प्रतियों में मय डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः—
1. प्रस्ताव 01 प्रति में
2. डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रस्ताव
3. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
4. भाग—4
5. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू—प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध—ए/115—870/2156 रायपुर, दिनांक 12/09/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः
1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी),** अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. **मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं क्षेत्र संचालक,** इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़
3. **उप निदेशक,** इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
4. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़